

क्रम संख्या— 01(ग)

पंजीकृत संख्या—यू0ए0—30 / 2012—14 (लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शनिवार, 03 जनवरी, 2015 ई0

पौष 13, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 342 / xxxvi(3)/2015/79(1)/2014

देहरादून, 03 जनवरी, 2015

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक, 2014 को दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष 2015 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम, 2014

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष 2015}

निजी विकासकर्ताओं एवं सामुदायिक सहभागिता आधार पर नवीकरण ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने तथा उससे संबंधित आनुषांगिक विषयों के लिए अधिनियम

उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा भारतीय गणतंत्र के पैंसठवें वर्ष में निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड हरित ऊर्जा

उपकर अधिनियम, 2014, है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी और शेष धाराएं ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से राजपत्र द्वारा नियत किया जाय।

परिभाषाएं 2

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अपीलीय प्राधिकारी" से इस अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "संग्रहकर्ता", "उप निरीक्षक", "उप प्राधिकारी" से ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है जो इस अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन कर निर्धारण और कर संग्रह हेतु राज्य सरकार द्वारा इस रूप में प्राधिकृत किया जाय;

(ग) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "हरित ऊर्जा निधि" से इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित निधि अभिप्रेत है;

(ङ.) "यूनिट" से एक घंटे के भीतर एक किलोवॉट उपभोग या उत्पादित की गई ऊर्जा अभिप्रेत है;

(च) "यूपीसीएल" से उत्तराखण्ड राज्य में उपभोक्ताओं को विद्युत के वितरण हेतु उत्तरदायी उत्तराखण्ड की कंपनी अभिप्रेत है।

हरित ऊर्जा उपकर का और उद्ग्रहण	3	(1) ऐसी ऊर्जा जो राज्य के भीतर उत्पादित तथा राज्य के अधिरोपण बाहर पारेषित की जाती है, पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए हरित ऊर्जा उपकर का अधिरोपण और उद्ग्रहण किया जायेगा।
		(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसा उपकर उन उत्पादकों द्वारा राज्य में उत्पन्न विद्युत पर उद्ग्रहीत व देय होगा जो उत्पादित ऊर्जा को राज्य से बाहर पारेषित कर रहे हैं। यह उपकर उत्पादित ऊर्जा के ऐसे प्रतिशत पर उद्ग्रहीत नहीं किया जायेगा जैसा राज्य सरकार को निःशुल्क ऊर्जा के रूप में दिया जाता है।
		(3) उपधारा (1) के अधीन ऐसा उपकर, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट उत्पादित विद्युत की प्रति यूनिट पर दस पैसे तक अधिरोपित किया जायेगा।
		(4) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित उपकर उत्पादक कंपनी द्वारा देय होगा।
वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर ऊर्जा उपकर का	और 4	इसके अतिरिक्त, दस पैसा प्रति यूनिट तक का हरित ऊर्जा आद्यौगिक उपकर राज्य के वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति पर हरित ऊर्जा उपकर का आपूर्ति की जाने वाली विद्युत पर अधिरोपण किया जायेगा अधिरोपण तथा इस उपकर की राशि यू. पी. सी. एल. द्वारा संग्रहित की जायेगी तथा संग्रह करने के पश्चात् ही निधि में जमा की जायेगी।

उपकर का संदाय 5 धारा 3 तथा धारा 4 के अधीन अधिरोपित उपकर, जैसा कि राज्य सरकार निर्धारित करेगी एवं जो कम से कम चालू वर्ष में लागू रहेगा, को यथास्थिति उत्पादक या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) द्वारा वित्त वर्ष के 30 जून को या उस से पहले भुगतान किया जायेगा।

- प्राप्तियों का राज्य की 6 उपकर की प्राप्तियों, ब्याज और इस अधिनियम के अधीन संचित निधि में जमा वसूल किये गये जुर्माने को पहले राज्य की संचित निधि में किया जाना
- जमा किया जायेगा तत्पश्चात् इस निमित्त विधि द्वारा निर्मित विनियोजन के अधीन उस में से संग्रह और वसूली के व्यय घटाकर अनन्य रूप से इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु उपयोग के लिये “हरित ऊर्जा निधि” नाम की निधि में प्रविष्ट व अंतरित किया जायेगा।
- हरित ऊर्जा निधि की 7. (1) इस अधिनियम के उद्देश्य से “हरित ऊर्जा निधि” नाम स्थापना से एक निधि की स्थापना की जायेगी।
- (2) यह निधि राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगी और इस में निम्नलिखित राशि जमा की जायेगी –
- (क) धारा 4 के अधीन भुगतान की गई कोई धन राशि;
- (ख) राज्य सरकार द्वारा किसी अनुदान के रूप में कोई राशि।
- निधि का प्रबंधन 8. (1)(क) नवीकरण ऊर्जा के द्वारा विद्युत के उत्पादन को बढ़ाना;
- (ख) गैर-परम्परागत ऊर्जा का क्रय और आर ई सीज़ (नवीकरण ऊर्जा प्रमाण पत्र) का क्रय करना;
- (ग) राज्य में पर्यावरण संरक्षण हेतु पहल करना;
- (2) राज्य में ऊर्जा के नवीकरण और गैर-परम्परागत स्रोतों के उत्पादन के विकास और सुधार हेतु योजनाओं के निष्पादन के लिये निधि को विस्तारित किया जा सकेगा।
- (3) राज्य सरकार के पास निधि के प्रशासन की शक्ति होगी तथा वह ऐसे निर्णय ले सकेगी जो निधि के उचित उपयोग के लिये आवश्यक हों।
- (4) राज्य सरकार के पास निधि से उस राशि के आवंटन और संवितरण की शक्ति होगी जिसे वह इस अधिनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु उत्तरदायी संबंधित विभाग/अभिकरण के लिये आवश्यक समझे।
- उपकर प्राधिकारी 9. (1) इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु राज्य सरकार संपूर्ण राज्य के लिये एक व्यक्ति/संगठन की नियुक्ति करेगी जो हरित ऊर्जा उपकर का संग्रहकता/निरीक्षक/ निर्धारक प्राधिकारी होगा तथा उसकी सहायता के लिये ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की भी नियुक्ति करेगी जिन्हें वह उचित समझे तथा जो उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उन कार्यों का निष्पादन करेंगे जिन्हें संग्रहकर्ता द्वारा उन्हें प्रदत्त किया जाये या सौंपा जाये।
- (2) राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु किन्हीं ऐसे व्यक्तियों को संग्रहकर्ता उप निरीक्षक या उप प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे जो राज्य सरकार द्वारा उनको विनिर्दिष्ट क्षेत्र की सीमाओं के भीतर इस अधिनियम के अधीन या द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे और सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करेंगे।

उपकर प्राधिकारियों 10. (1) इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु संग्रहकर्ता, उप निरीक्षक की शक्तियां और

या उप प्राधिकारी :-

कर्तव्य

(क) ऐसी पुस्तकों या अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है जो इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर की राशि को अभिनिश्चित या सत्यापित करने के लिये आवश्यक हो;

(ख) किसी ऐसे परिक्षेत्र में प्रवेश या जांच कर सकता है जहां निम्नलिखित उद्देश्य से विद्युत उत्पादन किया जा रहा हो या किये जाने का विश्वास हो -

(एक) रखी गयी लेखा पुस्तकों में दिये विवरण और जमा की गई विवरणी का सत्यापन;

(दो) निर्धारित तरीके से विभिन्न मीटरों और जनरेटर पैनल्स को पढ़ना और परीक्षण करवाना;

(तीन) उपकर के उद्ग्रहण के संबंध में अपेक्षित विवरणों का सत्यापन।

(ग) उत्तराखण्ड ऊर्जा निगम लि० (यू पी सी एल) द्वारा उपबंधित वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को आपूर्ति की जाने वाली विद्युत पर उपकर का उद्ग्रहण।

(घ) ऐसी विद्युत पर उपकर का उद्ग्रहण करना जो राज्य के भीतर उत्पादित की जाती है तथा राज्य के बाहर पारेषित की जा रही है।

(ङ.) ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना जो इस अधिनियम या उसके अधीन निर्मित नियमों का उद्देश्य पूरा करने के लिये आवश्यक हों।

(च) प्रत्येक ऐसा उत्पादक या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) जिस से ऐसी मांग की जाती है, उसके अनुपालन और सत्य सूचना देने के लिये आबद्ध होगा।

(छ) यदि यथास्थिति कोई उत्पादक या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) ऐसी मांग का अनुपालन नहीं करता है या सत्य सूचना प्रदान नहीं करता है तो उसे ऐसी परियोजना या भवन/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के संबंध में निर्धारक प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी निर्धारण पर आपत्ति करने से रोक दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन की गई सभी खोजें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अधीन की जायेंगी।

लेखा पुस्तिकायें,
निर्धारण

11. (1) ऐसी प्रत्येक कंपनी जो धारा 3 की उपधारा (1) के विवरणी और

अनुसार उपकर का भुगतान करने हेतु दायी है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों का संस्थापन और प्रचालन) विनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार विद्युत के सकल

उत्पादन के अभिलेखन हेतु मीटर संस्थापित करेगा तथा
तरीके से अनुरक्षित व प्रचालित रखा

इसे निर्धारित
जायेगा।

(2) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उपकर का भुगतान करने की दायी प्रत्येक उत्पादक कंपनी निर्धारित रूप में लेखा पुस्तिकायें रखेगी तथा निर्धारित रूप और निर्धारित समय पर संग्रहकर्ता, उप निरीक्षक या उप प्राधिकारी के पास विवरणी जमा करेगी जिसमें उत्पादित ऊर्जा की यूनिटें, देय और भुगतान किये गये उपकर की राशि, उपयोग किया गया ईंधन तथा निर्धारित किये गये अन्य विवरण दर्शाये जायेंगे।

(3) यू पी सी एल, निर्धारित रूप में उत्तराखण्ड के सभी वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं की लेखा पुस्तिकायें रखेगा तथा निर्धारित रूप और निर्धारित समय पर संग्रहकर्ता के पास विवरणी जमा करेगा जिसमें राज्य में वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गई यूनिटें, देय और भुगतान किये गये उपकर की राशि तथा निर्धारित किये गये अन्य विवरण दर्शाये जायेंगे।

स्व निर्धारण 12.

(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर व उसके पश्चात् प्रत्येक उत्पादक कंपनी और यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) जो इस अधिनियम के अधीन धारा 3 और 4 के अनुसार उपकर के भुगतान के दायी हैं; उस तरीके से स्व निर्धारण करेंगे तथा उस रूप में भुगतान किये जाने वाली अवधि हेतु विवरणी दाखिल करेंगे, जैसा कि अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) यथास्थिति प्रत्येक उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) जो इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा निर्धारित उपकर की सम्पूर्ण राशि का संग्रहकर्ता को भुगतान करेगा।

(3) यदि यथास्थिति कोई उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) जिसमें उपधारा (1) के अधीन स्व निर्धारण किया है अपने स्वनिर्धारण के बाद में कोई वास्तविक त्रुटि या चूक पाता है तो वह उस त्रुटि या चूक को सुधार सकता है यदि ऐसे सुधार के परिणामस्वरूप उपकर की राशि में मूल उपकर की राशि की अपेक्षा वृद्धि होती है तो ऐसी अतिरिक्त उपकर की राशि का भुगतान उसके द्वारा किए गए सुधार की तिथि से तीस दिन के भीतर किया जायेगा। यदि भुगतान किया गया उपकर देय उपकर से अधिक है तो यथास्थिति कोई उत्पादक कंपनी या यू पी

सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) द्वारा संग्रहकर्ता को आवेदन फाइल करने पर अतिरिक्त भुगतान की राशि प्रतिदेय होगी।

(4) विवरणी के सही होने का अभिनिश्चय करने की दृष्टि से संग्रहकर्ता इस अधिनियम के अधीन उपकर का भुगतान करने

की दायी, यथास्थिति उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) द्वारा प्रस्तुत विवरणियों, दस्तावेजों या जानकारी की जांच कर सकेगा।

(5)(क) जहां धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल करने के पश्चात् यह पाया जाता है कि ऐसी विवरणी के आधार पर भुगतान किये गये किसी उपकर के समायोजन के पश्चात् भी अतिरिक्त उपकर देय रहता है तो इस संबंध में ऐसे देय उपकर की राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए संग्रहकर्ता द्वारा यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) को सूचना भेजी जायेगी और सूचना को मांग नोटिस माना जायेगा।

(ख) उपधारा 5 के खण्ड (क) में किसी बात के होते हुए भी संग्रहकर्ता अपने स्वयं के प्रस्ताव से या उसके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर, यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) द्वारा देय उपकर का अपने उत्कृष्ट निर्णय के अनुसार निर्धारण कर सकेगा, जहां –

(एक) यथास्थिति उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी दाखिल नहीं करती है, या

(दो) यह विश्वास करने का निश्चित कारण है कि यथास्थिति उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) द्वारा धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन दाखिल की गई विवरणी सही या पूर्ण नहीं है।

(ग) यदि उपधारा 5 के खण्ड (ख) के अधीन निर्धारण करने के पश्चात् संग्रहकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) से उपकर देय हो गया है तो वह देय उपकर की राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) को सूचना भेजेगा जिसे मांग नोटिस माना जायेगा।

(घ) उपधारा 5 के खण्ड (क) या उपधारा 5 के खण्ड (ग) के अधीन उपकर की राशि का भुगतान यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) द्वारा मांग नोटिस के जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर किया जायेगा।

परन्तु यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) को उपधारा 5 के खण्ड (क) या उपधारा 5 के खण्ड (ग) के अधीन उपकर की राशि का भुगतान करने का निर्देश देने से पूर्व उसे संग्रहकर्ता द्वारा सुनवाई का अवसर दिया जायेगा।

(6) नोटिस, डिमान्ड नोटिस या इस अधिनियम के अधीन पारित कोई अन्य आदेश उचित रूप से तामील किया माना जायेगा यदि उसे निम्नलिखित में से किसी माध्यम में से यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) के पते पर भेजा जाये –

(क) रजिस्टर्ड डाक द्वारा; या

(ख) संग्रहकर्ता द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा सुपुर्दगी; या

(ग) सम्बन्धित उत्पादक या उपभोक्ता के पास कुरीअर द्वारा सुपुर्दगी; या

(घ) ई-मेल द्वारा।

देय होने पर उपकर 13. यदि यथास्थिति, उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल का भुगतान न करने (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) इस पर जुर्माना अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपकर का भुगतान नहीं करती है तो वह इस प्रकार देय उपकर के अतिरिक्त प्रतिमाह 2 प्रतिशत की दर से जुर्माने का भुगतान करने का दायी होगा।

लेखा पुस्तिकायें 14. यदि कोई उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और इत्यादि न रखने पर

औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये);—

जुर्माना

(क) लेखा पुस्तिकायें नहीं रखता है या इस अधिनियम के उपबन्धों या उनके अधीन बनाये गए नियमों के अनुसार विवरणी जमा नहीं करता है, या

(ख) झूठे लेखे, पंजियाँ या दस्तावेज प्रस्तुत करता है या जानबूझ कर झूठी सूचना प्रस्तुत करता है, या

(ग) संग्रहकर्ता, उप निरीक्षक या उप प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में जानबूझ कर रुकावट डालता है, या इस धारा के खण्ड (क), (ख) अथवा (ग) में विनिर्दिष्ट किसी कार्य के प्रचालन में किसी व्यक्ति को सहायता करता है या दुष्प्रेरित करता है तो उसे दोषसिद्धि पर जुर्माना किया जायेगा जो दस हजार रुपये तक हो सकता है।

मीटर इत्यादि पर 15. (1) जो कोई (उत्पादक कंपनी के मामले में), बेईमानी से — छेड़छाड़ से जुर्माना (क) मीटर से छेड़छाड़ करता है, छेड़छाड़ किये गये मीटर का उपयोग करता है, करेंट रिवर्सिंग ट्रांसफार्मर या

लूप कनेक्शन का उपयोग करता है या किसी ऐसी अन्य युक्ति या तरीके का उपयोग करता है जो विद्युत करेंट के उचित रजिस्ट्रेशन, कैलिब्रेशन या मीटरिंग में हस्तक्षेप करता हो या अन्यथा ऐसा परिणाम देता हो जिससे उत्पादित विद्युत सही रूप से रिकार्ड न होती हो; या

(ख) विद्युत मीटर, उपकरणों को क्षति पहुंचाता हो, नष्ट करता हो या इस अधिनियम के उद्देश्य से विद्युत की उचित या सही मीटरिंग और रिकार्डिंग में हस्तक्षेप के लिये उनमें से किसी को क्षति पहुंचाने दे या नष्ट करने दे।

(ग) ऐसे साधनों का उपयोग करे जिनसे उत्पादित विद्युत की सही रीडिंग में व्यवधान होता हो, पर जुर्माना लगाया जायेगा जो कि प्रथम बार पकड़े जाने पर इस प्रकार प्राप्त न्यूनतम वित्तीय लाभ के बराबर होगा तथा दूसरी बार और उससे आगे पकड़े जाने पर जुर्माना इस उल्लंघन से प्राप्त वित्तीय लाभ के दोगुने से कम नहीं होगा।

(2) ऐसे वित्तीय लाभ की गणना के लिये यह माना जायेगा कि ऐसी उत्पादक कंपनी लगातार निम्नलिखित अवधि से उत्पादन कर रही है –

(क) 10 मेगावाट से कम कुल संस्थापित क्षमता के मामले में एक वर्ष;

(ख) अन्य मामले में 2 वर्ष।

जब तक प्रतिकूल सिद्ध न हो जाये, परीक्षण या पकड़े जाना, जो पहले हो की तिथि के ठीक पहले यह भी मान लिया जायेगा कि ऐसी उत्पादक कंपनी इस पूर्ण अवधि के दौरान अपनी पूर्ण संस्थापित क्षमता के साथ विद्युत उत्पादन कर रही थी।

सील करने की शक्ति 16.

यदि यथास्थिति, उत्पादन कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय उपकर और जुर्माने का भुगतान डिमान्ड नोटिस जारी किये जाने की तिथि से 60 दिन के भीतर नहीं किया जाता है तो संग्रहकर्ता या उप निरीक्षक या उपकर प्राधिकारी यथास्थिति, परियोजना/भवन या संस्थान को सील करेगा। उपकर तथा जुर्माने की वसूली होने तक सीलिंग प्रभावी रहेगी।

जुर्माना लगाने के 17. इस अधिनियम के अधीन जुर्माना लगाने के लिये संग्रहकर्ता लिये सक्षम अधिकारी

या निरीक्षक या उपकर प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी होंगे।

तथापि किसी व्यक्ति/संस्थान को सुनवाई का अवसर दिये

बिना जुर्माना नहीं लगाया जायेगा।

वसूली 18.

(1) इस अधिनियम के अधीन उपकर या ब्याज या जुर्माने के रूप में देय सभी राशियों का भुगतान यदि निर्धारित अवधि में नहीं किया जाता है तो उसे बकाया माना जायेगा और तथा उस पर उपकर के साथ ब्याज और इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहीत जुर्माना भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूली योग्य होगा।

(2) जहां कोई उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिये) इस उपकर, जुर्माने या ब्याज के कारण किसी राशि का भुगतान करने का दायी है, तथा वह देय से कम राशि का भुगतान करता है तो इस प्रकार भुगतान की गई राशि को पहले ब्याज के भुगतान हेतु उसके पश्चात् जुर्माना यदि कुछ शेष है और तत्पश्चात् उपकर यदि कुछ शेष है, के अनुसार समायोजित किया जायेगा।

अपील

19 (1) धारा 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 के अधीन संग्रहकर्ता के निर्णय से व्यथित कोई उत्पादक कंपनी या यू पी सी एल (वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं

के लिये) ऐसे निर्णय की तिथि से साठ दिन के भीतर राज्य सरकार द्वारा नामित अपील प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा।

परन्तु यह कि धारा 16 के अधीन निर्धारण के आदेश के विरुद्ध किसी अपील पर राज्य सरकार द्वारा तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि जिस संबंध में अपील की गई है उस संबंध में संग्रहकर्ता द्वारा भुगतान किये जाने के लिये निर्देशित पचास प्रतिशत उपकर के भुगतान का संतोषजनक प्रमाण अपील के साथ न लगाया जाये।

अपील प्राधिकारी, अपीलकर्ता को तथा उपकर प्राधिकारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् लिखित में कारण अभिलिखित कर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा कि उचित समझे तथा अपील प्राधिकारी द्वारा इस

प्रकार पारित आदेश अंतिम होगा जब तक कि उसे राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षित न किया जाये।

(2) जहां संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उपकर प्राधिकारियों के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है वहां राज्य सरकार अपने स्वयं के प्रस्ताव से या अन्यथा संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उपकर प्राधिकारियों द्वारा पारित किसी आदेश की तिथि से एक वर्ष के भीतर, किसी निर्णय या आदेश की वैधता और औचित्य तथा संग्रहकर्ता या निरीक्षक या उपकर प्राधिकारियों की कार्यवाहियों की नियमितता की संतुष्टि के उद्देश्य से कार्यवाहियों के अभिलेख मंगा सकेगी और उनकी जांच कर सकेगी तथा उन पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी जैसे वह उचित समझे। अपने कार्यों के निष्पादन में अपील प्राधिकारी के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन प्रदत्त सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां होंगी।

(3) अपील या पुनरीक्षण में राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा तथा किसी भी न्यायालय में इस पर प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।

अन्य देयताओं का 20. इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माना, किसी अन्य जुर्माने से प्रभावित न अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के संबंध में उसके होना अतिरिक्त होगा तथा किसी अपराध या देयताओं के अल्पीकरण में नहीं होगा।

अधिकारी एवं कर्मचारी 21. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त संग्रहकर्ता, उप निरीक्षक या लोक सेवक होंगे

उप प्राधिकारी और अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अधीन लोक सेवक माने

जायेंगे।

वाद वर्जन 22. इस अधिनियम के उपबंधों या उनके अधीन निर्मित किन्हीं नियमों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिये आशायित सद्भाव में किये गये किसी कार्य के लिये इस अधिनियम के अधीन संग्रहकर्ता, उप निरीक्षक या उप प्राधिकारी के विरुद्ध वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

अधिकारिता पर रोक 23. उस संबंध में किसी न्यायालय की किसी प्रकार की अधिकारिता नहीं होगी जिस में इस अधिनियम के द्वारा राज्य सरकार या कोई अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी इसका संज्ञान लेने व इसके निपटारे के लिये सक्षम किया गया है तथा जिस तरीके से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी उसमें विहित शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।

नियम

24. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उद्देश्य हेतु सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सामान्य रूप से नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रभाव डाले बिना नियम निम्नलिखित में से किसी या सभी मामलों के लिये उपबंध कर सकेंगे :—

(क) धारा 3 की उपधारा (3) और धारा 4 के अधीन उपकरण के उद्ग्रहण और संग्रह का तरीका और दर;

(ख) धारा 8 के अधीन उपकरण प्राधिकारियों की अन्य शक्तियां और कर्तव्य;

(ग) लेखा पुस्तिकायें और विवरणी रखने का तरीका और रूप तथा धारा 9 के अधीन विवरणी जमा करना;

(घ) संग्रहकर्ता द्वारा निर्धारण करने का तरीका;

(ङ) धारा 11 के अधीन देय साधारण ब्याज की दर; या

(च) ऐसे अन्य मामले जो इस अधिनियम के अधीन निर्धारित किये जायें या किये जा सकेंगे।

(3) इस धारा के अधीन निर्मित नियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन सरकारी गजट में प्रकाशित किये जायेंगे;

परन्तु यदि राज्य सरकार संतुष्ट है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह इस धारा के अधीन बनाये जाने वाले नियम के लिये पूर्व प्रकाशन को हटा सकती है।

(4) इस धारा के अधीन निर्मित सभी नियम निर्मित होने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे।

(5) राज्य विधान सभा द्वारा किया गया कोई विखण्डन या परिवर्तन सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायेगा और तत्पश्चात् प्रभावी होगा।

कठिनाईयां दूर करने 25. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई की शक्ति कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार सरकारी गजट में सामान्य या विशेष आदेश प्रकाशित कर ऐसे उपबंध बना

सकती है जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों तथा कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों;

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से दो वर्ष समाप्त होने के पश्चात् ऐसा आदेश नहीं दिया जायेगा।

[Uttarakhand Act No 03 of 2015]**An****Act**

to promote the Electric Production from renewal power sources on the basis of private developer and community co-operation and for incidental matters connected theirwith,

{Enacted by the Uttarakhand State Assembly in the Sixty-fifth Year of the Republic of India}

Short title, extent and commencement.	1 (1)	This Act may be called the Uttarakhand Green Energy Cess Act, 2014.
	(2)	It extends to the whole of the State of Uttarakhand.
	(3)	This section shall come into force at once and the remaining provisions shall come into force on such date as the State Government may, by notification in
Definitions	2	In this Act, unless the context otherwise requires,-
	(a)	“Appellate authority” means an officer appointed as such by the State Government under sub-section (1) of section 19 of this Act;
	(b)	“Collector”, “ Sub-Inspectors”, “Sub-authority” means any person or authority, authorized as such by the State Government to make an assessment and to collect tax under sub-section(1) of section 9 of this Act;
	(c)	“State Government” means the Government of the State of Uttarakhand;
	(d)	“Green Energy Fund” means the fund established by the State Government for the purpose under sub-section(1)of section 7 of this Act;
	(e)	“Unit” means 1 Kilowatt power consumed or generated during 1 hour;
	(f)	“UPCL” means the utility of Uttarakhand responsible for distribution of electricity to the consumers in the State of Uttarakhand.
Levy and Collection of green energy cess	3	(1) There shall be levied and collected a Green Energy Cess for the purposes of this Act, on such electricity which is generated within the State and is being transmitted outside the State. (2) Such Cess under sub-section (1) shall be levied and

		payable on the electricity generated in the State by those generators which are transmitting the generated power outside the State. However the cess shall not be levied on that percentage of generated electricity which is given to the Government as free power.
	(3)	Such Cess under sub-section (1) shall be levied up to ten paise per unit of the electricity generated as prescribed in sub-section(2).
	(4)	The Cess levied under sub-section (1) shall be payable by the generating company.
Levy of Green Energy Cess on supply to the commercial and industrial consumers	4.	In addition, Green Energy Cess up to ten paise per unit shall be levied on the electricity supplied to commercial and industrial consumers of the State and the amount of Cess should be collected by UPCL and remitted to the Fund, only after it is collected by UPCL.
Payment Cess	5.	The Cess, as decided by State Govt. levied under section 3 and 4, will remain enforce for at least the current year and shall be paid on or before the 30th Day of June of the financial year by the generator or UPCL (for commercial and industrial consumers) as the case may be.
Crediting of proceeds to Consolidated Fund of State.	6.	The proceeds of the cess, interest and penalty recovered under this Act shall first be credited to the Consolidated Fund of the State, and after deduction of the expenses of collection and recovery there from shall, under appropriation duly made by law in this behalf, be entered in and transferred to a separate fund called the Green Energy Fund, for being utilized exclusively for the purposes of this Act.
Establishment of Green Energy Fund.	7.	(1) There shall be established a fund called "Green Energy Fund" for the purpose of this Act. (2) The Fund shall be under the control of the State Government and there shall be credited therein- (a) any sums of money paid under section 4; (b) the sums by way of any grant by the State Government.
Management of Fund	8.	(1) The Fund shall be utilised for

- (a) promoting the generation of electricity through renewable energy,
- (b) purchase of non-conventional energy and purchase of RECs (Renewable Energy Certificates), and
- (c) taking initiatives for protecting environment in the State.
- (2) The Fund may be expended for executing schemes for development and improvement of generation of renewable and non-conventional sources of energy in the State.
- (3) The State Government shall have the power to administer the Fund and shall take such decisions as may be required for the proper utilization of the Fund.
- (4) The State Government shall also have the power to allocate and disburse such sums from the Fund as it considers necessary to the concerned Departments/Agency responsible for achieving the objects of this Act.
- Cess authorities** 9. (1) For carrying out the purpose of this Act, the State Government shall appoint a person /organization to be the Collector, Sub-Inspectors or Sub-authority of Green Energy Cess for the whole of the State of Uttarakhand and such other officers and employees to assist the Collector as the State Government may think fit who shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on them by the Collector.
- (2) The State Government may by notification in the Official Gazette, appoint any persons as it thinks fit to be Collector, Sub-Inspectors or Sub-Authority for the purposes of this Act who shall exercise such powers and perform such duties as may be conferred or imposed on them by or under this Act within the limits of such area as the State Government may specify therein.
- Powers and duties of Cess Authorities** 10. (1) The Collector or the Inspector may for the purposes of this Act:-
- (a) require production for inspection of such books and Authorities records as may be necessary for ascertaining or verifying the amount of Cess leviable under this Act;
- (b) enter and search any premises where electricity is or is believed to be generated for the purpose of-
- (i) verifying the statements made in the books of account kept, and returns submitted,
- (ii) reading and getting tested the various meters and generator panels in the prescribed manner,
- (ii) verifying the particulars required in connection with the levy of cess,
- (c)

Levied a cess on the electricity supplied to the commercial and industrial consumers as provided by Uttarakhand Power Corporation Ltd. (UPCL)

(d) Levied a cess on such electricity which is generated within the State and is being transmitted outside the State.

(e) Exercise such other powers and perform such other duties as may be necessary for carrying out the purposes of this Act or the rules made there under.

(f) Every such generator or UPCL (for commercial and industrial consumers) to whom such requisition is made shall be bound to comply with the same and to give true information.

(g) if any generator or UPCL (for commercial and industrial consumers), as the case may be, does not comply with such requisition or fails to give true information, he shall be precluded from objecting to any assessment made by the assessing authority in respect of such project or building/commercial establishment.

(2) All searches made under sub-section (1) shall be made in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973.

Account 11. (1) Each generating company that are liable to pay cess **books, returns** as per sub section (1) of section 3 shall install a **and** meter for recording gross generation of electricity as **assessment**

provided in Central Electricity Authority (Installation and Operation of meters) Regulations, 2006 and same shall be maintained and operated in a manner as may be prescribed.

(2) Each generating company liable to pay cess as per the provisions of this Act, shall keep and maintain books of account in the prescribed form and shall submit to the Collector, returns in such form and at such times as may be prescribed, showing the units of energy generated, the amount of cess payable and that paid, fuel used and such other details as may be prescribed.

(3) UPCL shall keep and maintain books of account of the units consumed by the commercial and industrial consumers of the state, the amount of cess payable and that paid and such other details as may be

all com

prescrib

Self 12. (1) On and after the commencement of this Act, every **assessment** generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers) that are liable to pay cess as per Section 3 and 4 under this Act, shall make self assessment of cess in such manner and shall file a return for the period, for which cess is to be paid, in such form, as may be specified by the State Government by notification.

- (2) Every generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers), as the case may be, liable to pay cess under this Act, shall pay to the collector, the full amount of cess, as assessed by him according to the provision of this Act.
- (3) If any generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers), as the case may be, who has made self assessment under Sub Section (1), later on discovers any bona fide error or omission in the self assessment, he may rectify such error or omission. If such rectification results in a higher amount of cess due than the original cess, he shall make payment to the additional amount of cess within a period of 30 days from the date of rectification. In case the cess paid is more than the cess due, the excess payment of cess shall be refundable on filing an application to the Collector by the generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers), as the case may be.
- (4) With a view to ascertain the correctness of returns the collector may check the returns, documents or information submitted by the generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers), as the case may be, liable to pay cess under this Act.
- (5) (a) Where, after filing a return under sub-section (1) of section 10, it is found that even after adjustment of any cess paid on the basis of such returns, an additional cess is still due, an intimation in this regard shall be sent to the generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers), as the case may be, by the collector, specifying therein, the amount of cess so payable and such intimation shall be deemed to be a demand notice.
- (b) Notwithstanding anything contained in clause (a) of sub-section 5, the collector on his own motion or on the basis of information received by him, may, make an assessment to the best of his judgment, of the cess, payable by the generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers), as the case may be, where –
- (i) generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers), as the case may be, fails to file a return under sub-section (1) of section 10; or (ii) there is definite reason to believe that a return filed under sub-section (1) of section 10 by the generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers), as the case may be, is not correct or complete.

(c) if, after making assessment under clause (b) sub-section 5, the collector comes to the conclusion that a cess become due from the generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers), as the case may be, it shall sent an intimation to the generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers), as the case may be, by specifying therein the amount of due cess, which shall deemed to be a demand notice.

(d) the amount of cess under clause (a) of sub-section 5 or clause (c) sub-section 5, shall be paid by the generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers), as the case may be, within a period of 30 days from the date of issue of demand notice.

Provided that before directing the generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers), as the case may be, to pay the amount of cess under clause (a) of sub-section 5 or clause (c) of sub-section 5, he shall be given an opportunity of being heard by the collector.

(6) The notice, demand notice or any order, passed under this Act shall be deemed to be duly served, if the same is sent on the address of the generator or UPCL (for commercial and industrial consumers), as the case may be -

(a) by registered post; or

(b) delivered by any person deputed by the collector; or

(c) delivered at the concern generator or consumer through courier; or

(d) by e-mail.

Penalty for failure to pay when due 13. If the generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers), as the case may be, fails cess to pay the cess in accordance with the provisions of this Act, he shall be liable to pay in addition to the cess so payable, a penalty thereon at the rate two percent per month.

Penalty for failure to keep books of 14. If any generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers) :-
(a) fails to keep books of account or to submit returns in **accounts, etc.** accordance with the provisions of this Act and rules made there under, or
(b) produces false accounts, registers or documents, or knowingly furnishes false information, or
(c) willfully obstructs the Collector or any inspector in the exercise of the powers conferred upon him by or under this Act, or
(d) aids or abets any person in the commission of any act specified in clause (a), (b) or (c) of this section, shall on

		conviction, be punished with fine which may extend to ten thousand rupees.
Penalty for company), with meters, etc.	15.	(1) Whoever (in case of Generating dishonestly,- (a) tampers with a meter, installs or uses a tampered meter, installs or uses current reversing transformer, loop connection or resorts to any other device or method which interferes with accurate or proper registration, calibration or metering of electric current or otherwise results in a manner whereby electricity generated is not correctly recorded; or (b) damages or destroys an electric meter, apparatus , equipments or causes or allows any of them to be so damaged or destroyed as to interfere with the proper or accurate metering and recording of electricity for the purpose of this Act, or (c) uses such means which can lead to the obstruction of the correct reading of the electricity generated, shall be punishable with fine which shall not be less than on the first detection, the financial gain on account of such transgression and in the event of second or subsequent detection the fine imposed shall not be less than two times the financial gain on account of such transgression. (2) For calculation of such financial gain, it shall be presumed that such generating company has been generating electricity continuously for a period of- (a) 1 year in case where aggregate installed capacity is less than 10MW, and (b) 2 years in other cases, Immediately preceding the date of inspection or detection, whichever is earlier, unless contrary is proved. It shall also be presumed that such generating company was generating electricity at full installed capacity throughout such period.
Power to seal and industrial consumers), as the case may be, with in a period of 60 days from the date of issue of demand notice, the collector, sub-Inspector or sub-Authority shall seal the project/building or institution, as the case may be, the sealing shall remain effective till the cess and penalty are recovered.	16.	If the cess and penalty payable under this Act, are not paid by the generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers), as the case may be, with in a period of 60 days from the date of issue of demand notice, the collector, sub-Inspector or sub-Authority shall seal the project/building or institution, as the case may be, the sealing shall remain effective till the cess and penalty are recovered.
Authority competent to impose penalty	17.	The collector, sub-inspectors or sub-Authority cess authorities shall be competent to impose penalty under this Act. No penalty shall, however, be imposed, unless the person/institution concerned is afforded an opportunity of being heard.

- Recovery** 18. (1) All sums payable as cess or interest or penalty under this Act, if not paid within the prescribed period shall be deemed to be in arrears, and thereupon the amount of cess along with amount of interest and penalty to be levied under this Act, shall be recoverable as an arrear of land revenue.
- (2) Where any generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers) are liable to pay any amount on account of this cess, penalty or interest, and it pays amount less than amount due, the amount so paid shall be first applied towards the amount of interest, thereafter the balance, if any, towards penalty and thereafter the balance, if any, towards the amount of cess.
- Appeal** 19. (1) Any generating company or UPCL (for commercial and industrial consumers) aggrieved by the decision of the Collector or Inspectors under sections 10, 11, 12, 13, 14, 15 and 16 may prefer an appeal to the appellate authority nominated by State Government within sixty days from the date of such decision.
- Provided that no appeal against an order of assessment under section 16 shall be entertained by the State Government unless such appeal is accompanied by satisfactory proof of payment of fifty percent of cess directed to be paid by the Collector or Inspectors in respect of which an appeal has been preferred.
- The appellate authority may, after giving an opportunity of being heard to the appellant and to the cess authorities pass such order, as it may deem appropriate by recording reasons in writing, and the order of the appellate authority so passed, shall be final, unless revised by the State Government.
- (2) Where no appeal is preferred against a decision of the Collector or Inspector or cess authorities, the State Government may of its own motion or otherwise within one year from the date of any order passed by the Collector or Inspector or cess authorities, call for and examine the record of any proceedings of the Collector or Inspector or cess authorities, for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of any decision or order passed and as to the regularity of the proceedings of the Collector or Inspector or cess authorities, and pass such order thereon as it thinks fit.
- In discharging its functions, the appellate authority shall have all the powers of a Civil Court conferred under the Code of Civil Procedure, 1908.
- (3) The order passed by the State Government in appeal or revision shall be final and shall not be called in question in any court of law.

Penalties not to affect other provisions of any other Act.	20.	The penalties imposed under this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any offence or liability in respect of any contravention of the liabilities
Officers and employees to public servants	21.	The Collector, Sub-Inspector or Sub-Authority and other officers and employees appointed under this be Act shall be deemed to be the public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code.
Prevention of suits	22.	No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against Collector, Sub-Inspector or Sub-Authority under this Act for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the provisions of this Act or any rules made there under.
Bar on Jurisdiction	23.	No civil court shall have any jurisdiction in any manner, in respect of which, the State Government or any other person or authority is empowered by this Act to take cognizance, and dispose it of, and the manner in which the State Government or such person or authority, may exercise any power, vested in it or him by or under this Act.
Rules	24.	(1) The State Government may make by notification in the <i>Official Gazette</i>, rules generally for carrying out the purposes of this Act. (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters:- (a) manner and rate for levy and collection of cess under sub-section (3) of section 3 and under section 4; (b) other powers and duties of cess authorities under section 8; (c) manner and form for maintaining books of accounts and returns and submission of returns under section 9; (d) manner in which the assessment shall be made by the Collector; (e) rate of simple interest payable under section 11; or (f) such other matters which is to be or may be, prescribed under this Act. (3) The rules made under this section shall, subject to the condition of previous publication, be published in the Official Gazette: Provided that if the State Government is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action, it may dispense with the previous publication of any rule to be made under this section.

- (4) All rules made under this section shall be laid before the State Legislature as soon as may be after it is made.
- (5) Any rescission or modification made by the State Legislature shall be published in the Official Gazette and shall thereupon take effect.

Power to **25.** If any difficulty arises in giving effect to the **remove**
 provisions of this Act, the State Government may, **difficulties**
 by general or special order published in the *Official* *Gazette*,
 make such provisions not inconsistent with the provisions
 of this Act, as appear to it to be

necessary or expedient for removal of difficulty:

Provided that no such order shall be made
 under this section after the expiry of two years from
 the date of the commencement of this Act.

